



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

### प्रेस नोट

दिनांक-20.06.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 11000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0087/2016 धारा 323/34, 504, 506, 452, 308/34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव चौबे पुत्र मुरारी मोहन चौबे निवासी डी-43/14 बाजार सदानन्द, रामापुर थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-20.06.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-14 FC जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 308 सहपठित धारा 34 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रु. अर्थ दण्ड, धारा 323 सहपठित धारा 34 में 6 माह का साधारण कारावास व 1000/-रु. का अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 3 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/- रु. अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी ।